

## आयुष्मान भारत "निरामयम" मध्यप्रदेश

(दीन दयाल स्वास्थ्य सुरक्षा परिषद्)

जय प्रकाश अस्पताल, आई.ई.सी. ब्यूरो, प्रथम तल भोपाल

क्रमांक/ सी.ई.ओ./ए.बी./2018/52

भोपाल, दिनांक 20/11/2018

प्रति,

समस्त अस्पताल प्रबंधक

एस.आई.ए.एफ./एम.आर. इम्पेनलड चिकित्सालय

मध्यप्रदेश

विषय:- समस्त एस.आई.ए.एफ./एम.आर. इम्पेनलड चिकित्सालयों को आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना में इम्पेनलड करने विषयक।

उपरोक्त विषयान्तर्गत अवगत है कि दिनांक 05/11/2018 को आयोजित एस.एच.ए.की कार्यकारणी परिषद् की बैठक में निर्णय लिया गया है कि जिन एस.आई.ए.एफ./एम.आर. अस्पताल को आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना में इम्पेनलड कर लिया गया है, उन चिकित्सालयों के एन.ए.बी.एच. वैधता समाप्त होने के दिनांक से अधिकतम 3 माह की अवधि में आपना नवीनीकृत एन.ए.बी.एच. प्रमाण पत्र अनिवार्यतः प्रस्तुत करें।

साथ ही यह भी सूचित किया जाता है कि जो एस.आई.ए.एफ./एम.आर. अस्पताल आयुष्मान भारत 'निरामयम' योजना में इम्पेनलड नहीं हुए हैं उन अस्पतालों को 31 मार्च 2019 तक ही एस.आई.ए.एफ. के दिशानिर्देश लागू होंगे।

01/04/2019 से उन्हें आयुष्मान भारत 'निरामयम' में इम्पेनलड हेतु ऑनलाइन आवेदन करना अनिवार्य होगा। अन्यथा कि स्थिति में इन्हें स्वतः डी-इम्पेनल कर दिया जावेगा।

संलग्न एस.आई.ए.एफ. इम्पेनलड अस्पताल की सूची

(भास्कर) लाक्षाकार)

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.

पृ० क्रमांक/सी.ई.ओ./ए.बी./2018/53

भोपाल, दिनांक 20/11/2018

प्रतिलिपि:-

1. अपर मुख्य सचिव, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मंत्रालय भोपाल म.प्र.।
2. आयुक्त स्वास्थ्य, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
3. संचालक, अस्पताल प्रशासन, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
4. संचालक, एस.आई.ए.एफ., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
5. कार्यपालन अधिकारी, आयुष्मान भारत "निरामयम" म.प्र. आई.ई.सी. ब्यूरो भोपाल।
6. उप संचालक, एस.आई.ए.एफ., संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें सतपुड़ा भवन भोपाल म.प्र.।
7. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी म.प्र.।

मुख्य कार्यपालन अधिकारी  
आयुष्मान भारत 'निरामयम' म.प्र.